DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Tuesday, 28th August, 2012/Bhadrapad 6, 1934 (Saka)

No. 167

Sub:

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER.

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, received from A.C.P, Kamla Market, New Delhi:

Hon'ble Member of Legislative Assembly Delhi; namely Sh. Ramesh Bidhuri was detained u/r Section 65 of DP Act, 1978 at 1300 hours on 28th August, 2012 to maintain law and order and public peace, while he demonstrated at first barricade near to I.T.O. against the policy of Delhi Government.

He was released at 1330 hours from the same place on the same day.

P.N. MISHRA Secretary

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2 विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी मंगलवार, 28 अगस्त, 2012/भाद्रपद 06, 1934 (शक)

संख्या-167

सदस्य की गिरफतारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित ए.सी.पी, कमला मार्किट, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री रमेश बिधूडी दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा—65 के अंतर्गत दिनांक 28.08.2012 को 1300 बजे आई.टी. ओ., पुलिस स्टेशन के निकट फर्स्ट बैरिकेड से दिल्ली सरकार की नितियों के विरूद्ध प्रदर्शन करते हुए गिरफतार किया गया।

उन्हें उसी दिन उसी स्थान से 1330 बजे रिहा कर दिया गया।

पी.एन.मिश्रा सचिव